

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना


नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017

क्रमांक एफ-10-01/2017/वाक/पांच(11)-छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (4) में दी गई निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 1 अप्रैल, 2017 से 10 वर्ष की कालावधि या इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल रहने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

क्रमांक	माल का विवरण	करमुक्ति की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एविएशन टर्बाइन ईंधन	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय केन्द्रीय विमानन नीति-2016 की रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आने वाले एयरपोर्ट से वायुयान कंपनियों को किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017

क्रमांक एफ-10-01/2017/वाक/पांच(11) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-01/2016/वाक/पांच(11), दिनांक 10/3/2017 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION


Naya Raipur, dated : 10/3/2017

No. F-10-01/2017/CT/V (11) – In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restriction and conditions specified in column (4), for the period of 10 years from 1st April, 2017 or till the date of inclusion under this Act, whichever is earlier.

SCHEDULE

S.No.	Class of Goods	Extent of exemption	Restriction and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aviation Turbine Fuel	Partly, so as to reduce the rate of tax to 1%	When the goods specified in column (2) are sold to the Airline Companies from the Airports covered under Regional Connectivity Scheme of the National Civil Aviation Policy-2016.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(A.P. Tripathi)
Special Secretary